



No. GAD/P/RECT-DY.CVO/2914

16th June, 2023.

Recruitment Notice

The Chairperson
All Major Port Authorities

Sir/ Madam,

Sub: Filling up the post of Dy. Chief Vigilance Officer in the pay scale of Rs.80000-220000 (pre-revised Rs.32900-58000/ Rs.16000-20800) in Mumbai Port Authority on deputation.

One post of Dy. Chief Vigilance Officer in the pay scale of Rs.80000-220000 (pre-revised Rs.32900-58000/ Rs.16000-20800) in Mumbai Port Authority fallen vacant w.e.f. 17.4.2023. In terms of MbPT Employees (RS&P) Regulations, 2010, the post is to be filled on deputation amongst officers from Major Port Authorities. Copy of the Recruitment Rules for the post is at **Annexure I**.

2. The selection is by merit for which overall grading in the APARs should not be below "Very Good".

3. **Applications are invited from eligible and willing officers** of all the Major Port Authorities possessing the prescribed qualifications and experience as mentioned at **Annexure I**. The application shall be submitted through '**Online Application Portal (OAP)**' of the Ministry of Ports, Shipping & Waterways (website <http://onlinevacancy.shipmin.nic.in>) from **21.6.2023 to 20.7.2023**. No application submitted other than OAP will be accepted.

4. The candidate has to submit the hard-copy of the application form uploaded in OAP to his administrative Port for onward forwarding to MbPA. The administrative Ports are required to forward the applications of the candidates along with the following documents superscribing "**Application for the post of Dy. Chief Vigilance Officer on deputation in Mumbai Port Authority**" **on or before 4.8.2023**.

- (i) *certified copies of APARs for the last 5 years (2017-18 to 2021-22), duly attested by an officer not below the rank of Dy. HOD on each of the pages;*
- (ii) *a statement showing year-wise availability of APARs and grading duly signed by the HoD/Secretary. If APAR for a particular year during the last 5 years is not available, "No Report Certificate" may be furnished, along with APARs of the preceding years;*
- (iii) *Attested photocopies of all certificates and proof of educational qualification, present and past work experience in the respective post and pay scale.*

- (iv) No objection certificate from the respective Port.
- (v) Undertaking of the applicant that he will not withdraw his candidature, if selected by Services Selection Committee;
- (vi) Administrative clearance of the concerned port (**Annexure II**)
- (vii) Vigilance report is to be furnished in the prescribed format (**Annexure III**).
- (viii) Two passport size photographs.
- (ix) If any major or minor penalty has been imposed on the applicant during the last 10 years, the disciplinary case leading to such penalty along with necessary documents may be sent by the forwarding authority along with the application.

5.1 As per the Ministry's circular No. A-29018/4/2081/PE-I dated 11.8.2021, in case of receipt of advance copy of application from any candidate, his candidature will not be considered **if his application is not received through proper channel from the Port within 15 days** of the last date of receipt of applications. Therefore, Major Ports are requested to forward the applications with complete set of enclosures on or before **4.8.2023**. **Applications received after 4.8.2023 will not be considered.**

5.2 Further, the Ministry by letter dated 22.10.2021 has issued guidelines/ advisory stating that *all the matters relating to appointment/ filling up the post of Dy. CVO's only in Major Port Trusts shall be dealt in the Vigilance Division of this Ministry by following the similar practice as in PHRD Division in respect of other Dy. HoD level posts.*


6. While forwarding the application, the Major Ports are to enclose all relevant documents at a time. No piecemeal / part forwarding will be considered.

7. The crucial date for eligibility criteria will be the last date of closing of application i.e. **20.7.2023** in terms of Ministry of Ports, Shipping and Waterways' circular No. A-29018/4/2081/PE-I dated 11.8.2021.

8. As per the Ministry's guidelines dated 11.8.2021 regarding filling up the Dy. HoD level posts in Major Port Authorities, Port official who withdraws his candidature for the post after his selection by the Services Selection Committee, will be liable for debarment from future selection to Dy. HoD level posts in all Major Port Authorities for a period of two years.

9. Incomplete applications or applications received after due date will not be considered.

Yours faithfully,



(Smt. S.G. Patwardhan)
SECRETARY (I/c)
MUMBAI PORT AUTHORITY

Encl : As above

MUMBAI PORT TRUST
Vigilance Department

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	Dy. Chief Vigilance Officer	1	Class-I	16000-400-20800	Selection	N.A.	N.A.	(b)Degree of a recognised University	N.A.	By deputation	Deputation from officers of Major Port Trusts holding analogous posts or officers holding posts in the pay scale of Rs.24900-50500 (Rs.13000-18250 pre-revised) with 3 years regular service in the grade in Major Port Trust failing which from officers of the Central Government/State Government/PSUs/ Autonomous Bodies with similar grade. Preference will be given to the persons having experience in vigilance work. The selection will be by merit for which the benchmark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	Deputation will normally be for a period of 3 years, and, in any case not to exceed 5 years

ANNEXURE II

Certificate to be given by Head of Department of

Shri/ Smt. _____

Designation _____

1. It is certified that the particulars furnished by the officer are correct.
2. It is certified that no disciplinary/ vigilance case is pending or contemplated against the applicant and he/ she is clear from Vigilance and Administrative angle.
3. His/ Her integrity is certified.
4. It is certified that no major/ minor penalties have been imposed on the applicant during the last 10 years. If any, kindly indicate details thereof.
5. Attested copies of ACRs for the last five years (1.4.2017 to 31.3.2022) are enclosed.
6. It is certified that the incumbent meets the requisite eligibility criteria w.r.t. educational qualification and experience as specified in the Annexure I of the circular for absorption through composite method.

SIGNATURE OF THE
HEAD OF DEPARTMENT WITH SEAL

FORM FOR VIGILANCE CLEARANCE

Ref. No. .

Date:

Part A To be filled by the HR Deptt.

- 1. Name of the applicant :
- 2. Deptt. & P.F. A/c No. :
- 3. Designation & Class :
- 4. Revised pay scale (Rs.) :
- 5. Whether Annual Property Return (APR) has been submitted in time (applicable for Class I and II) : Yes / No
- 6. Date of submission of APR :
- 7. Purpose for seeking vigilance clearance :
- 8. Whether any disciplinary proceedings contemplated/ initiated against the Applicant (also give previous record, if any). : Yes/ No.
- 9. If yes, give details/ status thereof :
- 10. Whether under tenancy of punishment : Yes/ No.
- 11. Whether any local police case filed by MbPT/ pending : Yes/ No.
- 12. Whether any complaint with vigilance angle : pending against the officer as on date (If yes, details to be furnished) Yes/ No.

(Signature of HOD/ HR Deptt.)

Part B To be filled by Vigilance Deptt.

- 13. Remarks of Vigilance Deptt. (give complete status and recommendations, if any. Attach separate sheet, if required) :
- 14. Vigilance clearance : Accorded/ Not Accorded

Date:

(Signature of CVO/ Dy. CVO)

फोन/Phone: 91-22-6656 5656

ई-मेल/Email: secretary@mumbaiport.gov.in

वेबसाईट/Website: www.mumbaiport.gov.in



मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Mumbai Port Authority



सामान्य प्रशासन विभाग

पोर्ट भवन, दूसरा माला

शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलाई इस्टेट,

मुंबई - 400 001.

General Administration

Department,

Port House, 2nd floor,

S.V. Marg, Ballard Estate,

MUMBAI - 400 001.

सं. सा.प्र.वि./पी/आरईसीटी-डी. वाय. सीवीओ / 2914

16 जून 2023

भर्ती सूचना

अध्यक्ष,

सभी महापत्तन प्राधिकरण

महोदय/ महोदया,

विषय : मुंबई पत्तन प्राधिकरण में रु 80000-220000 (संशोधन पूर्व रु 32900-58000/ रु.16000-20800) के वेतन मान में प्रतिनियुक्ति आधार पर उप मुख्य सर्तकता अधिकारी का पद भरना.

मुंबई पत्तन प्राधिकरण के सर्तकता विभाग में रु 80000-220000 (संशोधन पूर्व रु 32900-58000/ रु.16000-20800) वेतन मान में उप मुख्य सर्तकता अधिकारी का एक पद 17.4.2023 से रिक्त हुआ. मुंपोट्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 के अंतर्गत भर्ती नियमों के अनुसार यह पद प्रतिनियुक्ति पर महा पत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों में से भरा जाना है. इस पद के लिए भर्ती नियमों की प्रति **अनुलग्नक - I** में है.

2. चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में समग्र ग्रेडिंग (श्रेणीकरण) "व्हेरी गुड" से कम नहीं होनी चाहिए.

3. **अनुलग्नक- I** के अनुसार निर्धारित योग्यता, अनुभव के धारक सभी महा पत्तन प्राधिकरणों के पात्र और इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. आवेदन **21.6.2023 से 20.7.2023** तक पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय (वेबसाईट <http://onlinevacancy.shipmin.nic.in>) के "ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)" के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है. ओएपी के अलावा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

4. उम्मीदवार को ओएपी में अपलोड किए गए आवेदन प्रपत्र की हार्ड कॉपी अपने प्रशासनिक पत्तन को प्रस्तुत करनी होगी ताकि वे उसे मुंबई पत्तन प्राधिकरण को आगे अग्रेषित कर सकें. प्रशासनिक पत्तनों को उम्मीदवारों के आवेदन निम्नलिखित कागजातों सहित उनके उपर "मुंबई पत्तन प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति आधार पर उप मुख्य सर्तकता अधिकारी पद के लिए आवेदन" लिखने के बाद **4.8.2023** को अथवा उसके पूर्व अग्रेषित करने होंगे.

- पिछले 5 वर्षों की (2017-18 से 2021-22) वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियाँ, उप विभागप्रमुख स्तर के नीचे न हो ऐसे अधिकारी द्वारा हर एक पन्ने पर विधिवत प्रमाणित करके;
- वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की वर्षवार उपलब्धता तथा श्रेणीकरण दर्शानेवाला विवरण विभाग प्रमुख/सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो. पिछले पाँच वर्षों में से यदि किसी विशिष्ट वर्ष/अवधि की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध न हो, तो उसके बारे में "रिपोर्ट नहीं है प्रमाणपत्र" पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत किया जाए;

- (iii) शैक्षिक अर्हता के सभी प्रमाणपत्रों तथा प्रमाणों तथा संबंधित पद तथा वेतनमान में वर्तमान तथा पिछले कार्य अनुभव की सत्यापित फोटो प्रतियाँ.
- (iv) संबंधित पत्तन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र.
- (v) आवेदक से लिया गया वचननामा कि यदि सेवा चयन समिति द्वारा उसका चयन किया गया तो वह उसकी उम्मीदवारी वापस नहीं लेगा;
- (vi) संबंधित पत्तन से प्रशासनिक अनापत्ती प्रमाणपत्र (अनुलग्नक II).
- (vii) निर्धारित फॉर्मेट (अनुलग्नक III) में सतर्कता रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी है.
- (viii) दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ्स
- (ix) यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई छोटा या बड़ा दण्ड लगाया गया हो तो ऐसे दण्ड की ओर ले जाने वाले अनुशासनिक मामले के साथ आवश्यक कागजातों को आवेदन सहित अग्रेषण प्राधिकरण द्वारा भेजा जाए.

5.1 मंत्रालय के परिपत्र संख्या. A-29018/4/2081/PE-I दिनांक 11.8.2021 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी उम्मीदवार से आवेदन की अग्रिम प्रति की प्राप्ति के मामले में, यदि उसका आवेदन आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर उचित माध्यम के जरिए पत्तन से प्राप्त नहीं हुआ तो उसकी उम्मीदवारी का विचार नहीं किया जाएगा. अतः महापत्तनों ने अनुरोध है कि वे आवेदनोंको संलग्नकों के संपूर्ण से सेट सहित 4.8.2023 को या उसके पहले अग्रेषित करें. **4.8.2023 के बाद प्राप्त हुए आवेदनों का विचार नहीं किया जाएगा.**

5.2 आगे, दि.22.10.2021 के पत्र द्वारा मंत्रालय ने केवल महा पत्तन न्यासों में उप मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर नियुक्ती/ भरने संबंधित सभी के मामलों में जिस प्रकार अन्य उप विभाग प्रस्तुत स्तर के पदों के संबंध में वही पद्धति से मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग द्वारा की जाएगी जो पी एच आर डी प्रभाग में अपनायी जाती है.


6. आवेदन को अग्रेषित करते समय, महापत्तनों को एक ही समय पर सभी संगत दस्तावेजों को संलग्न करना जरूरी है. आंशिक/ टुकड़ों में भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.

7. पत्तन,पोत परिवहन तथा जल मार्ग मंत्रालय के परिपत्र संख्या. No. A-29018/4/2081/PE-I दिनांक 11.8.2021 के अनुसार पात्रता मानदण्ड तय करने की निर्णायक तिथि आवेदन कि समापन की तिथि **20.7.2023** होगी.

8. महापत्तन प्राधिकरणों में विभाग प्रमुख स्तर के पदों को भरने के संबंध में मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार जो पत्तन अधिकारी सेवा चयन समिति द्वारा उनका चयन होने के बाद अपनी उम्मीदवारी को वापस लेंगे, उनका दो वर्षों के अवधि के लिए सभी महापत्तन प्राधिकरणों के विभाग प्रमुख के स्तर के पदों पर भविष्य में चयन के लिए रोक लगाने के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे.

9. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुए आवेदनों तथा अपूर्ण आवेदनों का विचार नहीं किया जायेगा.

भवदीया,


(श्रीमती. शु.गि. पटवर्धन)
सचिव (प्रभारी)

संलग्न. यथोक्त.

सतर्कता विभाग

अनुलग्नक I

क्र.स.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)	पद चयन या गैर चयन	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	ब्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएँ (ग) अनुभव पदोन्नति/ विलयन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू है	परिवीक्षा अवधि	भर्ती की पध्दति (सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में भर्ती किस श्रेणी से की जानी है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	उप मुख्य सतर्कता अधिकारी	1	श्रेणी - I	16000-400-20800	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	(बी) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	महापत्तन न्यास में सदृश्य पद धारण करने वाले अधिकारियों अथवा महापत्तन न्यास में 24900-50500 रुपये (पूर्व संशोधित 13000-18250 रुपये) के वेतन मान में पद धारण करने वाले एवं उस श्रेणी में तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर तथा ऐसा कोई उपलब्ध न होने पर अनुरूप श्रेणी के केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति. सतर्कता कार्य में अनुभव रखनेवाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी. चयन योग्यता के आधारपर होगा इसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में कुल श्रेणीकरण में निर्धारित स्तर "बहुत अच्छा" से कम नहीं होगा.	समान्यतः प्रतिनियुक्ति 3 वर्षों के लिए होगी और किसी भी मामले में 5 वर्षों से अधिक नहीं होगी.

विभाग प्रमुख द्वारा दिया जानेवाला प्रमाणपत्र

श्री/श्रीमती -----

पद -----

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है.
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता का मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और वे/वह सतर्कता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्दोष है.
3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है.
4. यह प्रमाणित है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा/मामूली दण्ड नहीं लगाया गया है. यदि कोई हो तो कृपया उसका विवरण दें.
5. पिछले पांच वर्षों (1.4.2017 से 31.3.2022) के लिए एसीआर की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं.
6. यह प्रमाणित है कि पदग्राही समग्र योग्यता के माध्यम से मिश्रित पध्दति से भर्ती के परिपत्रक के अनुलग्नक -I में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि अपेक्षित पात्रता मानदण्डो को पूरा करता है.

विभाग प्रमुख का हस्ताक्षर मोहर (सील) के साथ

सतर्कता अनापत्ति हेतु प्रपत्र

संदर्भ संख्या

दिनांक

भाग ए मानव संसाधन विभाग द्वारा भरा जाए:

- 1 आवेदक का नाम :
- 2 विभाग तथा भविष्य निधि खाता संख्या :
- 3 पदनाम तथा श्रेणी :
- 4 संशोधित वेतनमान (रु) :
- 5 क्या वार्षिक संपत्ति विवरणी (Annual Property Returns (APR) वक्त पर प्रस्तुत किया है (प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के लिए लागू) : हाँ/नहीं
- 6 वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि :
- 7 सतर्कता अनापत्ति प्राप्त करने का उद्देश्य :
- 8 क्या अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है (यदि ऐसा है तो पहले के रिकार्ड प्रस्तुत करें) : हाँ/नहीं
- 9 यदि हाँ तो विवरण/ताजा स्थिति की जानकारी दे :
- 10 क्या सजा की प्रक्रिया के अधीन है. : हाँ/नहीं
- 11 क्या मुंपोट्ट/पत्तन द्वारा स्थानिक पुलिस में कोई केस दर्ज किया गया है/लंबित है. : हाँ/नहीं
- 12 आज की तारीख में क्या अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता की दृष्टि से कोई शिकायत लंबित है (यदि हां, तो विवरण दिया जाय)

(विभागप्रमुख के हस्ताक्षर/मा.सं.विभाग)

भाग बी सतर्कता विभाग द्वारा भरा जाए:

- 13 सतर्कता विभाग की अभ्युक्तियाँ (संपूर्ण ताजा स्थिति तथा सिफारिशें यदि कोई हो तो दें. यदि आवश्यक हो तो अलग प्रपत्र जोड़ें) :
- 14 सतर्कता अनापत्ति : प्रदान की गयी/नहीं प्रदान की जा सकती

दिनांक:

(मुख्य सतर्कता अधिकारी / उप मुख्य सतर्कता अधिकारी के हस्ताक्षर/)